Form no. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

राजकीय प्राथमिक पाठशाला 7.145 आडीएल जरिये प्रधानाध्यापक पृथ्वीपाल पुत्र धन्नेसिंह जाति राजपूत
साकिन उदयपुर गोदारान तहसील सूरतगढ़
बनाम
तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़

किस्म मुकदमाः—अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 प्रकरण सं.—110/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
25.5.2023	पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। वकील अपीलांट तथा पैरोकार राज उपस्थित। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को जैर अपील आदेश की जानकारी दिनांक 20.07.2017 को पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर हुई। अपीलांट द्वारा जानबुझ कर देरी नहीं की गई है। अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुई को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। पैरोकार राज ने ना तो उक्त प्रार्थना पत्र का कोई जवाब पेश किया तथा ना ही दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर कोई आपत्ति जाहिर की। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र के पक्ष में प्रस्तुत शपथ पत्र का प्रतिशपथ पत्र भी पैरोकार राज द्वारा पेश नही किया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया। जैर अपील रकबा उक्त रकबा पर अपीलांट्स के हित निहित है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत सुना जाना प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में देरी का जो कारण बताया है वह संतोषजनक है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है इस लिए हम प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करना उचित समझते है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। तत्पश्चात गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील मीमों अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 26.04.2011 द्वारा चक 7.415 आरडीएल तहसील सूरतगढ़ के पत्थर न. 136/18 का किला न. 3 की 0.253 है0 अ0क0, किला न. 4 की 0.253 है0 अ0क0, व किला न. 8 की 0.253 है0 इस प्रकार कुल 0.759 है0 अ0क0 रकबा राजकीय प्राथमिक पाठशाला चक 7.145 आरडीएल को छात्रावास भवन व खेल मैदान के लिए आवंटित किया गया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा पटवारी हल्का उदयपुर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने हेतु आदेश क्रमांक 897 दिनांक 02.05.2011 द्वारा आदेशित किया गया था। पटवारी हल्का ने उक्त आदेशों की पालना में दिनांक 09.05.2011 को जैर अपील इंतकाल संख्या 100 दर्ज किया जिसके कॉलम संख्या 10 में पत्थर न. 136/18 का किला न. 3, 4, 7 दर्ज कर दिया जबकि उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा किला न. 3, 4, 8 में अपीलांट को रकबा आवंटित किया गया था। दिनांक 10.05.2011 को मिलान सही का अंकन कर तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष पेश किया। तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 13.05.2011 को बिना कोई जांच किये जैर अपील इंतकाल संख्या 100 स्वीकृत कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल त्रुटिपूर्ण है अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जैर अपील आदेश निरस्त किया जावे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.06.13 11:17:42 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

पैरोकार राज ने दौराने बहस किया कि जैर अपील इंतकाल भरते समय पटवारी हल्का से सहवन से लिपिकीय त्रुटिवश इंतकाल के कॉलम संख्या 10 में किला न. 3, 4, 8 के स्थान पर 3, 4, 7 अंकित हो गया है। यदि अपीलाधीन इंतकाल निरस्त किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। पैरोकार राज ने दौराने बहस राज्यहित को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने की प्रार्थना की।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलबध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया। जिससे पाया कि उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 26.04.2011 द्वारा चक 7.415 आरडीएल तहसील सूरतगढ़ के पत्थर न. 136/18 का किला न. 3 की 0.253 है0 अ0क0, किला न. 4 की 0.253 है0 अ0क0, व किला न. 8 की 0.253 है0 इस प्रकार कुल 0.759 है0 अ0क0 रकबा राजकीय प्राथमिक पाठशाला चक 7.145 आरडीएल को छात्रावास भवन व खेल मैदान के लिए आवंटित किया गया था। जिसका इंतकाल भरते समय पटवारी हल्का द्वारा कॉलम संख्या 10 में लिपिकीय त्रुटिवश इंतकाल के कॉलम संख्या 10 में किला न. 3, 4, 8 के स्थान पर 3, 4, 7 अंकित कर दिया जो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा बिना जांच किये ही स्वीकृत कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने भी जैर अपील स्वीकार कर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त करने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल संख्या 100 स्वीकृत दिनांक 13.05.2011 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ को इस आश्य के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 26.04.2011 का भलीभांती अवलोकन कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। अपीलांट दिनांक 14.06.2023 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश होवें। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार जाखड)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.06.13 11:17:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner